न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 104 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/116)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 22.04.2021

1. ग्राम पंचायत सेमलिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सेमलिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः– (वक्त बहस)
1. श्री पी. सी. पालीवाल –अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 59 / 2014 दिनांक 25.07.2015

निर्णय

दिनांक 22.04.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 59 / 2014 निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 26.10.2020 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय

संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का मौजा सेमलिया में आबादी से लगी हुई आराजी पाल के रूप में दर्ज है जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 936 रकबा 0.75 हैक्टेयर दर्ज है, जिसके पुराने साबिक नम्बर 443 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा दर्ज है। नवीन नाप के अनुसार आराजी नम्बर 443 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर बनाता है। ग्राम सेमलिया की वर्तमान आराजी नम्बर 936 के कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर दर्ज होकर आराजी नम्बर 936 भूमि राजस्व रेकार्ड में पाल के रूप में दर्ज है। जबकि भू–प्रबंध विभाग के पूर्व पुराने राजस्व रेकार्ड में पाल के रूप में 0.44 हैक्टेयर रकबा था। आराजी नम्बर 936 के पुराने नम्बर 936 बने। भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने गलती से आराजी नम्बर 443 के नये नम्बर 936 परिवर्तित करते समय आराजी नम्बर 936 में गलती से पुराने नम्बर 443 के रकबे से अधिक रकबा दर्ज करते समय आराजी नम्बर 936 रकबा 0.44 हैक्टेयर के बजाय 0.75 हैक्टेयर दर्ज कर दिया, जिससे आराजी नम्बर 936 में 0.31 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज हो गयी, उक्त भूमि पर वर्षो से लोगो के पक्के व कच्चे मकान निर्मित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रकरण 59/2014 निर्णय दिनांक 15.07.2015 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आराजी संख्या 936 किस्म भूमि पाल रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। किन्तु भूमि की*

किस्म न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र में न होकर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मौजा सेमलिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 936 के कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर किस्म भूमि पाल में से 0.31 रकबा कम किये जाने का प्रार्थना पत्रा खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.03.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपील में वर्णित विवादित आराजीयात की भूमि पर वर्षो से लोगो के पक्के व कच्चे मकान निर्मित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रकरण सुनवाई हेतु केम्प कोर्ट सेमलिया में नियत किया गया जिसमें अपीलांट उपस्थित नहीं था फिर भी रेस्पोडेंट को सुना जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया गया। नवीन आराजी नम्बर 936 रकबा 0.44 हैक्टेयर ही अंकित होना चाहिए था, फिर भी 0.75 हैक्टेयर दर्ज किया जाकर किस्म पाल दर्ज किये जाने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर किया गया। अपीलांट की ओर से इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पोडेंट का जवाब दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था फिर भी

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामें के प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया, जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय उचित है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाए।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2015 को किया गया है जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 26.10.2020 को अर्थात् 5 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद पेश की गयी है। अपीलाण्ट ने इसके लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता नियुक्त था व उन्हीं के द्वारा पैरवी की जा रही थी फिर भी अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये लोक अदालत में नियत किया जाकर बिना किसी राजीनामे के निर्णय पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.09.2020 को हुई। अपीलाण्ट द्वारा 5 वर्ष के विलम्ब के लिए जो आधार दिये गये हैं, वे न तो उचित है न ही पर्याप्त है। किसी भी पक्षकारा को अपने प्रकरण के सन्दर्भ में 5 वर्षों तक अपने स्तर पर अपने अधिवक्ता या न्यायालय से जानकारी नहीं करना निःसन्देह उसकी वादकरण में रूचि नहीं होना प्रकट करता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होकर खारिज योग्य है।

हालांकि अपील मियाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है फिर भी हम न्यायहित में यह वर्णन उचित समझते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम की पाल का रकबा भू–प्रबन्ध के बाद बढ़ जाने व उसके कारण आबादी कम हो जाने के कारण इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन पेश

किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में व अपील में अपीलाण्ट द्वारा कहीं भी यह व्यक्त नहीं किया गया है कि पाल का क्षेत्रफल तो बढ़ा है (जो पाल के सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण के कारण हो सकता है) परन्तु आबादी का पूर्व में कितना क्षेत्रफल था व अब कितना कम हो गया जो पाल के कारण हुआ है, ऐसा कोई तथ्य या रेकर्ड पेश नहीं किया है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा अपील हेतुक से संबंधित भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलाण्ट बैरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर